भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2812

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

फास्टैग वार्षिक पास के लिए संशोधित शुल्क

2812 श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के शुल्क में हाल ही में संशोधन किया है;

(ख) उक्त संशोधन के पीछे क्या तर्क है तथा संशोधित शुल्क निर्धारित करने के लिए कौन-सी कार्यप्रणाली अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने फास्टैग वार्षिक पास प्रारंभ किए जाने के बाद से टोल से अर्जित राजस्व, यातायात भीड़ तथा यात्रियों की सुविधा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक तथा यातायात के पैटर्न के आधार पर इस योजना की समय-समय पर समीक्षा करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन करके, नियम 9 में उप नियम (3ख) और (3ग) को शामिल करके, राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 388(अ) दिनांक 17 जून, 2025 के माध्यम से शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 9 के उप-नियम (3ग) में हर वर्ष 1 अप्रैल से फास्टैग वार्षिक पास के लिए शुल्क के वार्षिक संशोधन का प्रावधान है।

तदनुसार, फास्टैग वार्षिक पास के लिए शुल्क को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया है। इन प्रावधानों के तहत, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन और निर्धारित निश्चित वार्षिक वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के आधार पर, 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से संशोधित किए गए हैं, जिसमें फास्टैग वार्षिक पास शुल्क सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क दरें शामिल हैं।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुल्क 3,000/- रूपये से संशोधित कर 3,075/- रूपये कर दिया गया है।

(ग) फास्टैग वार्षिक पास 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुआ, जिसके बाद इसका अपनाना लगातार बढ़ रहा है। जून, 2026 तक, 77 लाख से अधिक वार्षिक पास जारी किए गए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 63 करोड़ लेनदेन दर्ज करते हैं, जो सड़क प्रयोक्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं। वर्तमान में, कार/जीप/वैन द्वारा किए गए कुल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) लेनदेन का लगभग 33% वार्षिक पास लेनदेन है।

यह वार्षिक पास योजना राजमार्ग प्रयोक्ताओं को राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से एक बार वार्षिक भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे बार-बार फास्टैग टॉप-अप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और बार-बार या मध्य-यात्रा रिचार्ज की असुविधा कम हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक परामर्शदाता के माध्यम से वार्षिक पास के प्रभाव का आकलन किया है। मूल्यांकन से पता चलता है कि शुल्क प्लाजा पर परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है, औसत लेनदेन प्रसंस्करण समय जनवरी 2025 में 11.5 सेकंड से घटकर जनवरी 2026 में 10.6 सेकंड हो गया है, जबकि लेन थ्रूपुट 313 से बढ़कर 340 वाहन प्रति लेन प्रति घंटा हो गया है, जो लगभग 8% की वृद्धि दर्शाता है। इसका परिचालन दक्षता, थ्रूपुट, भुगतान संबंधी शिकायतों, छूट विवादों, नकद/यूपीआई लेनदेन और ऑन-स्पॉट फास्टैग रिचार्ज में सुधार के साथ सकारात्मक परिचालन प्रभाव पड़ता है।

(घ) सरकार समय-समय पर वार्षिक पास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, जिससे पर्याप्त लाभ हुआ है और टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय और असुविधा कम हुई है।

****